

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा-0744-2325871

26

**मूल वाद में फाइनल डिक्री**

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

बाई पुत्री श्री स्व० बाला जी  
पत्नी श्री देवीलाल जी जाति माली  
वासी ग्राम चन्द्रेसल तह० लाडपुरा  
जिला कोटा

-वादी

**बनाम**

1. हिरालाल पुत्र स्व० श्री बालाजी जाति माली जयें कायम मुकामान
- 1/1. शंकरलाल पुत्र
- 1/2. धनालाल पुत्र
- 1/3. लाडबाई पुत्री निवासीगण ग्राम नयाखेडा तह० लाडपुरा जिला कोटा
2. तीजू बाई पुत्री स्व० श्री बाला जी धर्मपत्नी श्री हीरालाल जी जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तह० लाडपुरा जिला कोटा
3. गंगा बाई पुत्री श्री स्व० श्री बालाजी धर्मपत्नी श्री मोहन लाल जी जाति माली निवासी ग्राम अर्जुनपुरा तह० लाडपुरा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा

-प्रतिवादी

**-:: वाद अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:-**

मुकदमा नं. 118/2011 (दावा)

इस वाद में आज तारीख को वादीगण के वाद में फाइनल डिक्री जारी की जाती है कि वादी का वाद अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वाद के खर्चे लेखे ... X ... रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ... प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 27 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा  
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी  
कोटा  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा